

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 1054

दिनांक: 27/07/2020

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.10(7)वित्त/राजस्व/2013 लूज दिनांक 06.08.2018 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1)वित्त/राजस्व/16 दिनांक 25.09.2018 की निरन्तरता में प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु पेन्शन संशोधन दल में पूर्व में लगाये गये सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के अतिरिक्त निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर सम्बन्धित कोषालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क.सं	लिक नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/ का नाम सर्वश्री	पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नाम	कोषालय का नाम पेनशन संशोधन कार्य किया जाना है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	2346	इन्द्राज नेहरा, स.ले.अ.ग्रेड-1	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	जयपुर (पेंशन)	

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कोषाधिकारी, जयपुर (पेंशन) जयपुर के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 1054

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग,, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा
- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त कार्मिक तत्काल आपके पास रिपोर्ट नहीं करते है तो कृपया अविलम्ब ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in पर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित विभाग/ कार्यालयाध्यक्षको भेजकर लेख है कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्री 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करायें। आप द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थित कोषालय में पेन्शन संशोधन का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछड़ता है तो ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी।
- सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को भेजकर लेख है कि आप सम्बन्धित कोषालय में प्री2016 के पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774134 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)